हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था की पेंशन

*575. श्री सूरज प्रसाद :
श्री बी० डी० खोबरागड़े :
श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी :
श्री जगत नारायण :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 547 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को वृद्धावस्था की पेंशनें समाप्त कर देने और नये मामलों में ये पेंशन न देने का अनुदेश दिया है ; यदि हां तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और उन्हें इस प्रकार के अनुदेश कब कब और किन परिस्थितियों में दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को इस आशय का आदेश दिया है कि वृद्धावस्था की पेंशन का लाभ पंजाब के उन क्षेत्रों को न दिया जाये जो अब हिमाचल प्रदेश के अधीन आ गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा आदेश कब दिया गया था ;

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर 'ना' हो तो उन क्षेत्रों के अर्हता प्राप्त लोगों को वृद्धावस्था की पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि यह योजना उस राज्य के अन्य भागों में पहले से लागू चली आ रही थी ; और

(ङ) ऐसी पेंशन योजना किन किन राज्यों में इस समय भी चालू है ?

f [OLD AGE PENSION IN HIMACHAL PRADESH

*57$_5$. SHRI SURAJ PRASAD :
SHRI B.D. KHOBARAGADE :
SHRI D. THENGARI : SHRI
JAGAT NARAIN :

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to refe$_r$ to the answer to Starred question No. 547 given in the Rajya Sabha on the 13 th December, 1968 and state :

(a) whether Government have instructed some State Governments to discontinue old age pensions and not to grant such pensions on new cases ; if so, the names of the State Governments the dates and the circumstances under which such instructions were issued ;

(b) whether i t is a fact that the Government of India have issued an order to the Government of Himachal Pradesh to the effect that the benefit of old age pension should not be extended to the areas of Punjab which have now come under Himachal Pradesh ;

(c) if so, when such an order was issued ;

(dj if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons for not giving old age pension to the eligible persons belonging to those areas, when this scheme was effective in other parts of that State from earlier date; and

(e) the names of the States where such pension scheme is still in operation ?|

tlTHE MINISTER OF STATE IN THE

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेनू गुहा) :(क) से (घ) नहीं, श्रीमन्, अलबत्ता, दिसम्बर, 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार को एक संसूचना भेजी गई थी, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि सीमित साधनों को देखते हुए उन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशनें दी जाती रहें, जिन्हें गत पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन उन क्षेत्रों में पेंशनें मिलती थीं, जिन्हें गत पंजाब के पुनर्गठन पर हिमाचल प्रदेश से मिला दिया गया था ।

(ङ) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ।

MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) to (d) No, Sir. However a communication was sent in December, 1967, to Himachal Pradesh Govt, requesting them, in consideration of limited resources, to continue paying old age

t[ ] English translation.

pensions to the p rsons who were in receipt of pensions under former Punjab Old Age Pension Scl erne, in the areas, merRed **with** Himachal Pradesh, following reorganisation ol erstwhile Punjab.

(e) Andhra Pi tdesh, Haryan?, Kerala, Mysore, Punja >, Rajasthan, Tamil-Nadti, Uttar I radesh and West Bengal-]

I [PAYMENT OI ARREARS OF OVER-TIME

सहायक स्टेशन मास्टरों का बकाया ओवर टाइम भत्ते का भुगतान

***576. श्री पीताम्बर दास :**
श्री ना० कृ० शेजवलकर :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
श्री प्रेम मनोहर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन के कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों के 1962 तथा 1963 के वर्षों के ओवर टाइम भत्ते का अभी तक आंशिक रूप से भुगतान किया गया है ; और कि 1962 की दर 1963 से कम लगाई गई है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ; और सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा जितने ओवर टाइम भत्ते के बिल प्रस्तुत किये गये थे और उन्हें जितना ओवर टाइम भत्ता दिया गया उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'ना' हो तो कानपुर स्टेशन पर और यार्ड में काम करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के 1962, 1963 और 1964 के लिए देय ओवर टाइम भत्ते का ब्यौरा क्या है और उन्हें ओवर टाइम भत्ते की कितनी-कितनी राशि किस-किस तारीख को दी गई है ?

ALLOWANCE O ASSISTANT STATION I 5 FERS

*576. SHRI 1'ITAMBER DAS :
SHRI \. K. SHEJWALKAR :
SHRI UNDAR SINGH BHANDARI :
SHRI PREM MANOHAR :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the arrears uf over-time allowance due to some Assistant Station Masters of the Allahabad Division of the Northern Railway for the years 1962 and rg63 have so far been paid only partly and the rate of over-time allowance applied for the year 1962 is less than the rate applied for the year 1963;

(b) if so, what are the reasons therefor and what are the details of the over-time allowance claimed and the amount paid to the said Assistant Station Masters *;* and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what are rhe details of the over-time allowance due and its payment so far 10 rhe Assistant Station Masters working at the Kanpur Station and yard for the years 1962, 1963 and 1964 and what are the amounts of overtime allowance paid and the dates on which they were paid ?1

f[THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS

विधि तथा समाज कल्याण और रेल मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(SHRI P. GOVINDA MENON) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.]

गंज बासौदा स्टेशन पर कृषि उपज विपणन समिति के नाम अनुमति पत्र

***577. श्री निरंजन वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के गंज बासौदा स्टेशन पर कृषि उपज विपणन समिति ने (जो कि एक प्राधिकृत स्थानीय निकाय है) मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, मध्य रेलवे बम्बई से मांग की है कि उसे गंज बासौदा स्टेशन पर व्यापारियों द्वारा आयात तथा निर्यात किए जाने वाले माल की जांच करने के लिए रेलवे के नियमों तथा विनियमों के आधार पर एक अनुमति पत्र दिया जाए ;

f [ ] English translation.